

बौद्धिक संपदा

भारत के लिए आधारभूत ढांचे जैसी ही महत्वपूर्ण हैं

उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि करन भाटिया से साक्षात्कार
लॉरिडा कीज लॉग

हाल ही में भारत की यात्रा पर आए उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि करन भाटिया ने स्पैन से साक्षात्कार में कहा कि भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के कड़ाई से संरक्षण में अग्रणी होना चाहिए। उन्होंने कहा, “दीर्घावधि विकास का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भारत के पास शायद यह महत्वपूर्ण उपाय है।”

स्पैन: आधारभूत ढांचों से भी अधिक महत्वपूर्ण ?

भाटिया: भारत में सबसे सशक्त कानून और सबसे सशक्त प्रवर्तन कार्यक्रम होने चाहिएं क्योंकि ज्ञान पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए इस आधारभूत ढांचे का होना परम आवश्यक है। भारत ने एक काफी प्रतिस्पर्धी ज्ञान-आधारित उद्योग विकसित कर लिया है लेकिन यह अमेरिका या यूरोप, और यहां तक कि कुछ विकसित एशियाई देशों के उद्योग की तुलना में भी बहुत छोटा है। इसलिए मुझे लगता है कि जबतक भारत एक अधुनातन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली विकसित नहीं कर लेता तब तक उस की प्रगति सीमित ही रहेगी। इसका अर्थ है कि उसे अपने पेटेंट और कॉपीराइट कानून सुधारने होंगे और एक सशक्त, लक्ष्य केंद्रित, प्रभावी प्रवर्तन प्रणाली भी तैयार करनी होगी। इस मामले में हम तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में सहायता करने को तैयार भी हैं। लेकिन अंततः भारत को राजनीतिक संकल्प तो खुद ही करना ही होगा।

लेकिन भारत में कई लोगों को यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता।

मैं मानता हूं कि भारतीय व्यापारियों, छात्रों की बात भी सुनी जानी चाहिए क्योंकि यही वर्ग है जिन्हें सबसे अधिक लाभ होने वाला है। मैं भारत सरकार के उन लोगों से असहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि सशक्त बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के बारे में लोगों में अधिक चेतना और समझदारी होनी चाहिए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि कुछ हद तक भारत सरकार को ही पहल करनी होगी और दूसरों को

भी साथ लेकर चलना होगा। ईमानदारी की बात यह है कि “ओपन स्काइज़” (मुक्ताकाश) समझौते के मामले में भी यही हुआ था। भारत में लोगों को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि अमेरिका के मुकाबले यहां हवाई यात्रा की लागत बहुत अधिक है या बहुत से शहर हवाई उड़ानों से नहीं जुड़े हैं। लेकिन नागरिक उड्युन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने साहसिक कदम उठाया और आज आप उस के परिणाम देख रहे हैं— नई हवाई सेवाएं, कम किराए, अधिक विकल्प। मुझे लगता है कि जब लोगों को यह दिखने लगता है कि उन्हें सचमुच लाभ हो रहा है तो वह आप के साथ हो लेते हैं। कभी-कभी आगे बढ़कर अपने साथियों को राह दिखानी पड़ती है।

भारत के बहुसंख्य, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे ग्रामीण गरीबों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्या अर्थ है?

बौद्धिक संपदा अधिकारों की जरूरत भारत की उस 25 प्रतिशत जनसंख्या को है जो असल में आर्थिक बृद्धि को आगे ले जाएगी— और यह कृषि क्षेत्र नहीं होगा, ज्ञान आधारित क्षेत्र होगा। मैं यह कह रहा हूं कि बौद्धिक संपदा अधिकार ज्ञान-आधारित अर्थतंत्र के लिए आधारभूत ढांचा ही है। ये सड़कें हैं। दूरसंचार लाइनें हैं।

कुछ बुद्धिजीवी जिनमें प्रमुख भारतीय पत्रकार और लेखक भी शामिल हैं, कहते हैं कि नकल तो सभी करते हैं, विचार इसी तरह फैलते हैं; और सस्ती, नकल वाली फिल्में खरीदना ऐसी बुरी बात नहीं है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों को खास बात न मानने वाले और नकल तो करते हैं, कहने वाले ये ही लोग प्रतिभा के भारत से अमेरिका की ओर पलायन का रोना भी रोते हैं। प्रतिभा के भारत से अमेरिका की ओर पलायन का कारण यह है कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोग अमेरिका जाकर, अपने उत्पाद वहां पेटेंट करवाकर या अपने सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट प्राप्त करके मालामाल हो पाते हैं क्योंकि वहां उनके बौद्धिक श्रम के परिणामों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है।